कार्यालय – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन,भू–तल, भोपाल

क्रमॉक/संरक्षण/कक्ष– /803 /भोपाल,दिनांक 13/2/04

प्रति,

समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

समस्त वन मण्डलाधिकारी (क्षेत्रीय एवं वन्य प्राणी)

मध्यप्रदेश

विषय :– अवैध कटाई हेतु उत्तरदायित्वों का निर्धारण ।

संदर्भ :– म0प्र0शासन,वन विभाग का कर्मांक /एफ–14/28/2002/10–2 दिनांक 11/2/2004

संदर्भांकित पत्र के माध्यम से शासन व्दारा अवैध कटाई के उत्तरदायित्व के निर्धारण के लिये पूर्व के आदेशों को अतिक्रमित करते हुये निर्देश जारी किये गये हैं । शासन के पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट में विभिन्न स्तर के कर्मचारियों / अधिकारियों से अपेक्षित कार्यों की सूची दी गई है । अत आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि आप वन रक्षक स्तर तक इन निर्देशों को शीध्रतिशीध्र पहुँचायें एवं इसका क्रियान्वयन प्रारंभ करें । किसी भी क्षेत्र में अवैध कटाई होने की स्थिति में उनके व्दारा अपने दायित्वों के वहन को ध्यान में रखते हुये उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जावेगा ।

2– कृपया आप अपने वृत्तों में शासन निर्देशानुसार अवैध काटे गये वृक्षों के मूल्य निर्धारण की कार्यवाही दिनांक 15–4–2004 के पूर्व हर हालत में पूर्ण कर आपके व्दारा निर्धारित दरों की सूची इस कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

3– कृपया निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जावे ।

(डॉ0 एच एस पाबला)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण)

मध्यप्रदेश

वन मण्डल अधिकारी

C:\My Documents\PATHIK\letter1.doc 347